न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आरएएस
प्रकरण संख्या : 130/18

दायरा दिनांक 18.07.2018

अनवान :

श्रीमति विमला देवी पत्नि श्री जोतराम जाति जाट निवासी चक 45 एलएलडब्ल्यू तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

—— प्रार्थिया

बनाम

1. देवसीराम पुत्र श्री रामलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।
2. विद्या देवी पुत्री श्री रामलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।
3. हेमराज पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी ग्राम संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।
4. रामप्रताप पुत्र श्री रामलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये भू–प्रतिनिधी तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।
6. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक, आरएमजीबी बैंक शाखा संघर तह0 सूरतगढ़।

2/1 फतूराम पुत्र श्री गिरधारी
2/2 लीलूराम पुत्र श्री गिरधारी
2/3 मांमकौरी पुत्री श्री गिरधारी
} अकवाम कुम्हार साकिनान शेरे भादूवाली ढाणी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा, हरियाणा।

——— अप्रार्थी,

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा – प्रार्थी
2. श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार – अप्रार्थी सं. 1, 3 व 4
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़।
4. एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 28.01.2020 अप्रार्थी सं. 2/1 ता 2/3

निर्णय दिनांक : 14/08/2020

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थिया द्वारा अपना उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 9 एसजीआर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 2071 की खाता सं. 44 नई 44 पुरानी में अंकित खाता की कुल 3.542 है0 (3.038 नहरी, 0.354 बारानी व 0.150 खाला) खातेदारी कृषि भूमि नामान्तरण सं. 308 दिनांक 25.08.2015 के द्वारा मु0नं0 84 प0नं0 23/319 किला नं. 1/0.253 (0.228 नहरी व 0.025 खाला), 2/0.253 (0.228 नहरी व 0.025 खाला), 3/0.253 (0.228 नहरी व 0.025 खाला), 4/0.253 (0.228 नहरी व 0.025 खाला), 5/0.253 (0.228 नहरी व 0.025 खाला), 6 ता 10/1.265 नहरी कुल 2.530 है0 नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थिया खातेदार व मु0नं0 74 प0नं0 24/317 किला नं. 24/317 किला नं. 12/1/0.126 बारानी व 185/0.253 (0.228 बारानी व 0.025 खाला) = 0.371 है0 बारानी मय खाला और मु0नं0 84 प0नं0 23/319 किला नं. 11 ता 12/0.506 नहरी, 13/1/0.127 नहरी = 0.[illegible] नहरी कुल 1.012 है0

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 17:02:16 IST
Reason: SelfAttested

बारानी नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से अंकित है। इस प्रकार से प्रार्थिया 2.530 है0 नहरी मय खाला व अप्रार्थी सं. (1) 1.012 है0 बारानी, नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि के अंकित खातेदार व काबिज है। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ में संलग्न की हुई है। प्रार्थी की चक 9 एसजीआर तहसील सूरतगढ के मु0नं0 84 प0नं0 23/319 के किला नं. 1 ता 10 में स्थित 2.530 है0 नहरी मय खाला भूमि के चिपते उक्त मुरब्बा नं. के प.नं. 23/319 के किला नं. 11 ता 12/0.506 नहरी व 13/1/0.127 नहरी अप्रार्थी सं. 1 के नाम से व मु0नं0 84 प0नं0 23/319 के शेष रकबा में से किला नं. 13/2/0.126, 14 ता 24/2.783 कुल 2.909 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि चक 9 एसजीआर तहसील सूरतगढ के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 2071 की संयुक्त खाता सं. 108 नई 94 पुरानी में नामान्तरण स. 416 दिनांक 05.04.2016 विरास्तन व दस्तबरदारी द्वारा विद्या देवी पुत्री रामलाल 0.484 है0, हनुमान प्रसाद – देवसीराम – रामप्रताप पिसरान रामलाल 2.425 है0 ब0हि0ब0 जाति कुम्हार साकिन संघर खातेदार, इन्तकाल सं. 427 रहननामा द्वारा देवसीराम 0.808 है0 आरएमजीबी बैंक शाखा संघर, इन्तकाल सं. 466 बैयनामा दिनांक 08.08.2017 हनुमान बाया 0.808 है0 द्वारा हेमराज पुत्र कृष्णलाल 1.314 है0 जाति जाट सा0 संघर खातेदार शेष खाता जमाबन्दी बदस्तूर अंकित है। इस उक्त संयुक्त खाता की भूमि में अप्रार्थी सं. (1) 0.808 है0, अप्रार्थी सं. (2) 0.484 है0, अप्रार्थी सं. (3) 1.314 है0 व अप्रार्थी सं. (4) 0.303 है0 हिस्सा के हिस्सेदार, खातेदार व काबिज है। नकल जमाबन्दीया प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हुई है। प्रार्थिया को अपनी खातेदारी कृषि भूमि चक 9 एसजीआर के पत्थर नं. 23/319(84) किला नं. 1 ता 10 में आने–जाने और काश्त करने के लिये अपने कृषि यन्त्रों को लाने लेजाने के लिये कोई रास्ता रिकार्ड में स्वीकृतशुदा नहीं है। इस कारण से प्रार्थिया को प.नं. 23/319 के चिपते दक्षिण दिशा में स्थित चक 12 एसटीबी के पत्थर नं. 23/320 के किला नं. 1 ता 5 प्रत्येक में 0.025 है0 (इन किला जात के उत्तरी पासा में) स्वीकृतशुदा रास्ता से हाकर अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के चक 9 एसजीआर के पत्थर नं. 23/319(84) के किला नं. 11 ता 24 में स्थित खातेदारी रकबा के किला नं. 11–20–21 के पश्चिमी पासा में से अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की मिन्नते करके ही आया जाया जाता है। इनके द्वारा मना कर दिये जाने और किला नं. 11–20–21 में काश्त कर लिये जाने पर अड़ौसी–पड़ौसी काश्तकारों की मिन्नते करके बड़ी मुश्किल से अपने खेत में प्रार्थिया पहुंच पाती है। प्रार्थिया को खेत में आने–जाने के लिये कोई स्वीकृतशुदा रास्ता ना होने के कारण उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं नकल नक्शा व जमाबन्दीयॉ प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ में पेश की हुई है। प्रार्थिया अपने खातेदारी रकबा में आने जाने के लिये अप्रार्थी सं. 1 की चक 9 एसजीआर के प0नं0 23/319(84) किला नं. 11 में 0.013 है0, अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की संयुक्त खाता में स्थित खातेदारी रकबा प.नं. 23/319(84) के किला नं. 20 में 0.013 है0 व 21 में 0.013 है0 (इन किलाजात के पश्चिमी पासा में उत्तर से दक्षिण दिशा में) कुल 0.039 है0 गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है। इस रास्ता में आने वाली भूमि के बदले डीएलसी दर से बनने वाली राशि प्रार्थिया, अप्रार्थीगण को उनके हिस्सानुसार अदा करने को तैयार हैं। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 05.07.2018 को अपनी भूमि में से गुजरने देने से स्पष्ट इंकार कर देने पर प्रार्थिया द्वारा अपना यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलब किये जाने के आदेश पारित किये जावे। अप्रार्थी सं. 2 के फौत होने पर उसके वारिसान को पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा पेश किये जाने पर दिनांक 30.10.2018 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृतक अप्रार्थी सं. 2 के वारिसान 2/1 फतुराम 2/2 लीलूराम पि0 गिरधारी व 2/3 मामकौरी को पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित किये गये। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ से प्रस्तावित रास्ता के सम्बंध में मौका व रिकार्ड की रिपोर्ट मंगवाई गई। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश ना करते हुये सीधे ही बहस सुने जाने का निवेदन किये जाने पर दिनांक 30.07.2020 को विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 17:02:16 IST
Reason: SelfAttested

लगातार 3 पर

वकील प्रार्थिया के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि चक 9 एसजीआर तहसील सूरतगढ़ के मु0नं0 84 प0नं0 23/319 के किला नं. 1 ता 10/2.530 है0 नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थिया के पास है। इसी मुरब्बा नं. व प.नं. के किला नं. 11 अप्रार्थी सं. 1 और किला नं. 20 व 21 अप्रार्थी सं. 2 ता 4 की खातेदारी कृषि भूमि है। किला नं. 21 के दक्षिणी पासा में स्थित चक 12 एसटीबी के पत्थर नं. 23/320 के किला नं. 1 ता 5 में गै0मु0 रास्ता मंजूरशुदा है। इस पत्थर नं. के किला नं. 1 से अप्रार्थी सं. 2 ता 4 को भूमि चक 9 एसजीआर के प0नं0 23/319 के किला नं. 21 व 20 और अप्रार्थी सं. 1 की किला नं. 11 की भूमि के पश्चिमी पासा में से होते हुये प्रार्थिया अपनी कृषि भूमि में प्रवेश कर सकती है। इसलिये प्रार्थिया चक 9 एसजीआर के पत्थर नं. 23/319 के किला नं. 11, 20, 21 अप्र्र्थी सं. 1 ता 3 की भूमि में प्रत्येक किला में 0.013 है0 कुल 0.039 है0 गै0मु0 रास्ता (इन किलाजात के पश्चिमी पासा में) राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में मंजूर करवाना चाहती है। प्रार्थिया की भूमि में आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। इसलिये वह अपनी भूमि में वर्तमान में आ–जा नहीं पा रही है। प्रार्थिया को रास्ता की आवश्यकता है। श्रीमान् तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक भी चक 9 एसजीआर तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 23/319 के किला नं. 11, 20, 21 अप्रार्थीगण की भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाना बताया गया है। इस भूमि में किला नं. 11 में बोरवेल इस किला की पश्चिमी सींव से लगभग 10 फुट दूर हैं। जिसका मौका अदालत स्वयं द्वारा भी देखा हुआ है। इसलिये प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। वकील अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थिया की भूमि के सम्बंध में सिविल न्यायालय में प्रकरण जैरकार है। इनकी भूमि के सम्बंध में रहन, बैय इत्यादि द्वारा अन्तरण ना किये जाने का स्थगन जारी किया हुआ है। जिसका नोट प्रार्थिया की जमाबन्दी में भी लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी सं. 1 की भूमि के किला नं. 11 में ट्यूवेल लगा हुआ है। इसलिये भी रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। प्रार्थिया द्वारा सही तथ्य अदालत से छिपाये गये है। इस कारण से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने के पश्चात् उसे ध्यान में रखते हुये पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। चक 9 एसजीआर तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 23/319 के किला नं. 1 ता 10 = 2.530 है0 नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थिया के नाम से अंकित हैं। इसी चक के इसी पत्थर नं. के किला नं. 11–12/0.506 है0 व 13/0.127 है0 = 0.632 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से व किला नं. 13/0.126 है0, 14 ता 24/2.909 है0 खातेदारी कृषि भूमि संयुक्त रूप से अप्रार्थी सं. 3 हेमराज के नाम से 1.314 है0, अप्रार्थी सं. 2 विद्या देवी के नाम से 0.484 है0 व अप्रार्थी सं. 4 रामप्रताप के नाम से 0.302 है0 व 0.808 है0 अप्रार्थी सं. 1 देवसीराम के नाम से अंकित है। उक्त मुरब्बा नं. 84 के पत्थर नं. 23/319 के दक्षिणी पासा में चिपते हुये चक 12 एसटीबी के पत्थर नं. 23/320 के किला नं. 1 ता 5 प्रत्येक में 0.025 है0 इन किलाजात के उत्तरी पासा में गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृतशुदा है। इस पत्थर नं. 23/320 के किला नं. 1 में गै0मु0 रास्ता से उत्तर दिशा की तरफ चक 9 एसजीआर प.नं. 23/319 में अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की भूमि के किला नं. 20 व 21 से और किला नं. 11 में अप्रार्थी सं. 1 की भूमि में से यानि किला नं. 11, 20, 21 के पश्चिमी पासा में से प्रत्येक में 0.013 है0 गै0मु0 रास्ता स्वीकृत किये जाने से प्रार्थिया अपनी कृषि भूमि में प्रवेश कर सकती है। प्रार्थिया की भूमि के सम्बंध में उसे रहन, बैय इत्यादि द्वारा अन्तरण ना किये जाने के सम्बंध में सिविल न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। जो कि प्रार्थिया की जमाबन्दी में लगे स्थगन के नोट से साबित है लेकिन इस भूमि में पहुंचने के लिये अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता मंजूर किये जाने पर किसी प्रकार का कोई स्थगन नहीं है। रास्ता एक काश्तकार को उसके खेत में पहुंचने के लिये उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है। जहॉं तक किला नं. 11 में अप्रार्थीगण का बोरवेल लगा हुआ जो बताया गया है तो उसकी भूमि को छोड़ते हुये रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। क्योंकि प्रार्थिया को अपनी भूमि में पहुंचने के लिये कोई रास्ता नहीं है। इसलिये प्रार्थिया

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 17:02:16 IST
Reason: SelfAttested

लगातार 4 पर

प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये चक 9 एसजीआर के मु.नं. 84 पत्थर नं. 23/319 के किला नं. 11/0.013 है0 (इस किले के पश्चिमी पासा में बोरवेल की भूमि को छोड़ते हुये) 20/0.013 है0 व 21/0.013 है0 (इन किलाजात के पश्चिमी पासा में) कुल 0.039 है0 गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। रास्ता में आने वाली भूमि के बदले चक 9 एसजीआर की डीएलसी दर से बनने वाली राशि अप्रार्थीगण को उनकी रास्ता में आई भूमि अनुसार दिलवाये जाने के आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को दिये जाने उचित है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर चक 9 एसजीआर तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 23/319 के किला नं. 11/0.253 है0 नहरी अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी कृषि भूमि में से 0.013 है0 (इस किले का पश्चिमी पासा, बोरवेल की भूमि को छोड़ते हुये), 20/0.253 है0 नहरी व 21/0.253 है0 नहरी अप्रार्थी सं. 2, 3 व 4 की खातेदारी कृषि भूमि में से किला नं. 20/0.013 है0 व 21/0.013 है0 (इन किलाजात का पश्चिमी पासा) इस प्रकार से कुल 0.039 है0 गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किये जाते है और इस रास्ता की भूमि के बदले में प्रार्थिया से इस चक की डीएलसी दर से बनने वाली राशि राजकीय कोष में जमा करवाई जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0रास्ता का अंकन किये जाने एवं प्रार्थिया से जमा करवाई गई राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को मुताबिक जमाबन्दी में अंकित उनके हिस्सानुसार भुगतान किये जाने के आदेश तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के नाम से पारित किये जाते है। इसकी पालना में अलग से तहरीर जारी की जाकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

आज दिनांक 14/09/20. को मेरे द्वारा यह निर्णय खुले न्यायालय में उभय पक्ष के अधिवक्तागण की उपस्थिति में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 17:02:16 IST
Reason: SelfAttested